

फर्द अहकाम

(निचम ३६)

अज आदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

भँवरकँवर पत्नि महावीर सिंह राजपूत निवासी बावडी

बनाम

लादूरिंह पिता आनंदरिंह राजपूत निवासी बावडी

किरम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 138/2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर न तारीख अहकाम जो हुवम की तामील में जाती हुने
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र रिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बावडी प.ह.बावडी में आराजी सं. 887/1 रकबा 2.5576 है., 1087/1 रकबा 0.4128 है, भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडीसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगडी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगडी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न मकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगडी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगडी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बावडी प.ह. बावडी की आराजी सं. 887/1 रकबा 2.5576 है. , 1087/1 रकबा 0.4128 है, भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगडी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगडी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/५९४/2024

दिनांक -13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. ५९४/2024 अनवान श्रीमति भेंवरकवर पत्नि महावीर सिंह राजपूत निवासी बावडी बनाम लादूसिंह पिता आनन्द सिंह राजपूत , महावीर सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत , रामेश्वर पिता रुपा रेगर , महावीर पिता बालू वैष्णव निवासी बावडी तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बावडी प.ह.बावडी की आराजी सं. 887/1 रकबा 2.5576 है. , 1087/1 रकबा 0.4128 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा